श्रीमती विप्लव ठाकुर (हिमाचल प्रदेश): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करती हूँ।

श्री प्रदीप टम्टा (उत्तराखंड): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूँ।

श्री महेंद्र सिंह माहरा (उत्तराखंड): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबंद्ध करता हूँ।

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY (Andhra Pradesh): Sir, I too associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRIMATI WANSUK SYIEM (Meghalaya): Sir, I too associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SOME HON. MEMBERS: Sir, we too associate ourselves with the matter raised by the hon. Member.

श्री सभापतिः ठीक है, ऑल एसोसिएट। आप महिलाएं इतना अच्छा बोलती हैं, जब आपको मौका मिलता है, लेकिन आपको बीच में राजनीति में नहीं पड़ना है। अदरवाइज़ बढ़िया इश्यू है। This is a challenge before the entire nation. We have all made a commitment. We must honour it at the earliest. Now, Shri Sanjay Singh. ....(*Interruptions*)... Please don't make a running commentary.

Problems being faced by businessmen due to sealing of commercial establishments in Delhi

श्री संजय सिंह (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली): धन्यवाद, सभापति महोदय। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे सीलिंग जैसे गंभीर मुद्दे पर अपनी बात कहने का अवसर दिया। देश की राजधानी दिल्ली में आपात-स्थिति पैदा हो गई है। पिछले कुछ दिनों से सीलिंग का कहर व्यापारियों पर बरपाया जा रहा है। दिल्ली के सात लाख व्यापारियों पर सीलिंग का कहर बरपाया जा रहा है। जब मैं सात लाख व्यापारियों की बात कर रहा हूँ, तो सिर्फ सात लाख व्यापारी लोग ही प्रभावित नहीं हैं, उनकी दुकानों पर काम करने वाले कर्मचारी भी हैं, उनकी दुकानों पर मजदूरी करने वाले मजदूर भी हैं, उनकी दुकानों से सामान उठा कर दूसरी दुकानों तक पहुंचाने वाले रिक्शे वाले भी हैं और आसपास के दुकानदार भी हैं। उनकी दुकानों को सीलिंग के जरिए तबाह और बरबाद किया जा रहा है। एक अखबार में उसकी रिपोर्टिंग है कि दिल्ली के व्यापारियों ने चार हजार करोड़ रुपए कन्वर्जन चार्जेज़ जमा किये हैं, उसके बावजूद उनकी दुकानों को सील किया जा रहा है, मनमाने ढंग से सीलिंग का कहर दिल्ली के अंदर बरपाया जा रहा है।

सर, मैं एक घटना बताऊंगा कि दिल्ली में एक इलाका कस्तूरबा नगर है, उस इलाके में एक व्यापारी ने डेढ़ करोड़ रुपए कन्वर्जन चार्जेज के जमा किये थे, उसके बावजूद उसकी दुकान सील कर दी गई। दिल्ली के अंदर जो मुगलों के जमाने से, अंग्रेजों के जमाने से बाजार हैं, चाहे वह चांदनी चौक का बाजार हो, चाहे वह चावड़ी बाजार हो, चाहे वह गांधी नगर मार्केट हो, चाहे वह सदर बाजार हो, उन बाजारों को भी सील किया जा रहा है। हम सभी लोग दिल्ली में रहते हैं, केंद्र की सरकार दिल्ली में रहती है, हमारे प्रधान मंत्री जी दिल्ली में रहते हैं, इस सदन के हमारे तमाम माननीय सदस्य दिल्ली में रहते हैं, हम लोग दिल्ली का नमक खाते हैं, इसलिए मैं

विनम्रतापूर्वक सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि सीलिंग के कहर को रोकने का काम करें। अगर यह सरकार जल्लीकुट्टी त्योहार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल सकती है, तो एक महत्वपूर्ण बिल सदन में लाकर इस सीलिंग पर भी रोक लगाई जाए, व्यापारियों को राहत पहुंचाई जाए। दिल्ली के अंदर आज जिस प्रकार से व्यापारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि सरकार की इन व्यापारियों से क्या दुश्मनी है? पहले नोटबंदी लाती है, फिर जीएसटी लेकर आते हैं।

MR. CHAIRMAN: All right, Mr. Sanjay Singh. Please ...(*Interruptions*)... अभी वह विषय नहीं है, आपने सीलिंग के बारे में बात करनी है।

श्री संजय सिंहः आज व्यापारियों का जो व्यापार है, उसको चौपट करने के लिए सीलिंग की जा रही है।

MR. CHAIRMAN: Please; Shri Vijayasai Reddy. ...(*Interruptions*)... यह रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है। **...(व्यवधान)...**

श्री संजय सिंहः सर, मेरा समय है। *

श्री सभापतिः यह रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है। मैंने दो मिनट दिए हैं। To accommodate maximum number of people, the time has been reduced to two minutes. I have said so already. Please conclude. ...(*Interruptions*)...

SHRIMATI AMBIKA SONI (Punjab): Sir, I associate myself with the matter raised by the hon. Member.

श्रीमती छाया वर्मा (छत्तीसगढ़): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करती हूँ।

श्रीमती विप्लव ठाकुर (हिमाचल प्रदेश): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करती हूँ।

डा. सुशील गुप्ता (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूँ।

KUMARI SELJA (Haryana): Sir, I too associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY (Andhra Pradesh): Sir, I too associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI B. K. HARIPRASAD (Karnataka): Sir, I too associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI BHUBANESWAR KALITA (Assam): Sir, I too associate myself with the matter raised by the hon. Member.

---

* Not recorded.

SOME HON. MEMBERS: Sir, we too associate ourselves with the matter raised by the hon. Member.

MR. CHAIRMAN: Shri Vijayasai Reddy, please. ...(*Interruptions*)... I have got names of 17 more Members. That is my problem. ...(*Interruptions*)...

Need to recognise Doctor of Pharmacy graduates as medical practititioners

SHRI V. VIJAYASAI REDDY (Andhra Pradesh): Sir, Doctor of Pharmacy, popularly known as Pharm.D. is a six-year doctoral course. It was introduced in India in 2008 by the Pharmacy Council of India. Ten years are over since introducing the course. The objective of the Doctor of Pharmacy is to provide rationalized therapy to the patients and improve the quality of therapy and patient's life. Sir, this particular course has got three phases. The first phase is academic. In the academics, they deal with the study of anatomy, pathology, pharmacology, therapeutics, medical chemistry and bio-chemistry of human body. In the second phase, it is one-year internship where students undergo training relating to clinical pharmacy services and critical evaluation. In the third phase, the students are trained in the general medicine for six months. These are all the three phases which they undergo during the six years. The objective behind framing of this kind of syllabus is that Pharm.D. graduates learn to treat framed therapy for very basic illness. Sir, in fact, after seeing the academics, initially, the course should have been recognized by the Medical Council of India, not the Pharmacy Council of India. Sir, for better future of about 20,000 Pharm.D. graduates and students, I request the hon. Minister for Health and Family Welfare to recognize Pharm.D. graduates as Clinical Pharmacists. In fact, a Starred Question came yesterday, but the House could not sit. To that Starred Question, the hon. Minister has responded and agreed to recognize Pharm.D. graduates as Clinical Pharmacists. But my request to the hon. Minister is – there is only one request which he has not addressed in the Starred Question – since many MBBS doctors are not willing to go to the rural areas and serve the patients, these Pharm.D. graduates can be sent to the rural areas and asked to serve in the rural areas and can be conferred with the MBBS after completion of the fixed tenure. Thank you.

MR. CHAIRMAN: Now Shri Pramod Tiwari; not present. Dr. T. Subbarami Reddy, you have two minutes.

DR. T. SUBBARAMI REDDY (Andhra Pradesh): Sir, I want three minutes.

MR. CHAIRMAN: No; two minutes only. Others also have to be given time. Moreover, no Member can raise two issues separately.